जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-1599/2026
टनकुप्पा थाना कांड संख्या–56 / 2026

22.07.2026 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। उनका कहना है कि पीठासीन पदाधिकारी आज द्वितीय सत्र से अवकाश में हैं। जिसका प्रभार श्रीमान को मिला है। आज यह मामला सुनवाई के लिये निश्चित था। इस मामले में पूर्व से आदेश पारित है कि अभियुक्तों के विरूद्ध कोई प्रपीड़क कार्यवाही अगली तिथि तक नहीं की जाय। आज इस मामले में सुनवाई नहीं कि जा सकी है। इसलिये अगली तिथि तक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आदेश की अवधि को बढ़ाया जाय।

सुना

इस मामले की सुनवाई आज नहीं हो सकी है। क्योंकि पीठासीन पदाधिकारी अवकाश में चले गये। इसलिये अगली तिथि 24.07.2026 निर्धारित की गयी है। इसलिये अगली तिथि तक अभियुक्तों के विरूद्ध प्रपीड़क कार्यवाही करने से रोक लगाने का आदेश पारित किया जाता है।

प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
गया